

**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धर्मशाला तहसील धर्मशाला, जिला काँगड़ा,
(हि.प्र) के छात्र कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि:-04/2013 से 03/2016

भाग-एक

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

अतिरिक्त मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा) की अधिसूचना संख्या :-EDN(TE)A(4)
1/2009 दिनांक 12-01-10 उक्त महिला संस्थान को CO-EDUCATIONAL किया गया।
संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की कार्यवाई उपरांत पैरों कि नवीनतम स्थिति निम्न
प्रकार से है :-

(क)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/2009

पैरा -5(ii) अनिर्णीत

पैरा- 5(iii) अनिर्णीत

(ख)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/09 से 3/13

पैरा-5 अनिर्णीत

पैरा -6 निर्णीत कार्यवाही देख ली गई है।

पैरा- 7 निर्णीत कार्यवाही देख ली गई है।

पैरा-8(1) अनिर्णीत

पैरा-8(2) अनिर्णीत

पैरा-9(क) अनिर्णीत

पैरा-9(ख)1 से 3 अनिर्णीत

पैरा-9 (ग) अनिर्णीत

पैरा-9(घ) अनिर्णीत

पैरा-10(क) अनिर्णीत

पैरा-10(ख) i अनिर्णीत

पैरा-10(ख)ii अनिर्णीत

पैरा-11 अनिर्णीत

पैरा -12 अनिर्णीत

पैरा- 13 अनिर्णीत

पैरा -14(i) अनिर्णीत

पैरा- 14(ii) अनिर्णीत

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के वर्तमान छात्र कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेद में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 21-11-2016 से 26-11-2016 तक के दौरान किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 07/13, 02/15 व 7/15 तथा व्यय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 9/13, 10/14 व 03/16 को चयनित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

क्रम सं०	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1.	श्री एम०आर० शर्मा	01-04-13 से 30-05-15
2.	श्री एस० के० लखनपाल	01--06-15 से 15-10-15
3.	श्री किरत सिंह सोहल	16-10-15 से लगातार

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई

सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्थान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धर्मशाला के अवधि 4/13 से 3/16 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को भेजने हेतु संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अध्याचना सं० 252 दिनांक 26-11-16 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को संस्थान द्वारा बैंक ड्राफ्ट सं० 105682 दिनांक 16-12-2016 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वितीय स्थिति:-

संस्थान द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर अंकेक्षण अवधि के दौरान राजकीय

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धर्मशाला के छात्र कल्याण निधि व ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही :-

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त आय	वर्ष में प्राप्त व्यय	जोड़	व्यय	अन्त शेष
2013-14	2090498	1291773	193757	3576028	845699	2730329
2014-15	2730329	1532668	184544	4447541	1594431	2853110
2015-16	2853110	1382749	210412	4446271	1218962	3227309

अन्त शेष का विवरण :-

- (i) दिनांक 31-3-16 को kccb दाड़ी के बचत खाता स.20129032278 में जमा राशि 1134813
 - (i) दिनांक 31-3-16 को kccb दाड़ी के बचत खाता स.20129033453 में जमा राशि 35596
 - (ii) दिनांक 31-3-16 को निवेशित राशि 2056900
- कुल जोड़ 3227309**

नोट :- गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में ट्रेनिंग व प्लेसमेंट निधि के ₹14778/- के शेष को अन्त शेष में सम्मिलित नहीं किया गया है जो कि इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

5 निवेश :-

संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से दिनांक 31-3-16 को निवेशित ₹2056900/- राशि का विवरण परिशिष्ट “क” पर सलग्न है।

6 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने बारे:-

जाँच के दौरान छात्रों की फीस वसूली हेतु रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में प्रयोग की गई रसीद बुकों व शेष रसीद बुकों की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं कि जा सकी। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 मानदेय के रूप में भुगतान की ₹0.42 लाख की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से न करने बारे:-

निदेशक तकनीकी शिक्षा के पत्र संख्या STV(TE)HC(1)2010 -4402-21 दिनांक 4-2-11 के अनुसार ट्रेनर व अनुदेशको जिनके मानदेय का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया जा रहा है की प्रतिपूर्ति राजकीय मुख्य शीर्ष :2230-03-003-05-सून- नॉन-प्लान SOE “HONONARIUM 99” से की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि

दिनांक 31-3-16 तक मानदेय के रूप में भुगतान की ₹42300 की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से की जानी शेष थी जिसका विवरण परिशिष्ट “ख” पर दिया गया है। अतः उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उक्त शीर्ष से शीघ्र करके छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

8 वेतन के रूप में ₹0.31 लाख का अनियमित रूप से भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान की जाँच करने पर पाया गया की संस्थान द्वारा, अंजना देवी वाटर कैरिएर, का वेतन अवधि 10/15 से 3/16 के कुल ₹31320 का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया गया जो कि निदेशक तकनीकी शिक्षा की अधिसूचना सं EDN(TE)-A(3)-2/2004 दिनांक 8-7-2010 के अनुसार उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त राशि की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से शीघ्र कर के छात्र कल्याण निधि में जमा की जाये व कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

9. RECOUPMENT आधार पर जारी ₹4.15 लाख की वसूली न करने बारे:-

वा.सं. शून्य माह 10/14 की जाँच करने पर पाया गया कि निदेशक तकनीकी शिक्षा के स्वीकृति पत्र संख्या :- STV(TE)-H-C(1)-1/MISC-48951 दिनांक 07-7-14 के अनुसार फूड प्रोडक्शन ट्रेड हेतु छात्र कल्याण निधि से ₹415492/- RECOUPMENT BASIS पर जारी की गई थी परन्तु अभी तक उक्त राशि को प्राप्त नहीं किया गया है जबकि राशि को जारी किये हुए 2 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अतः उक्त बकाया राशि को शीघ्र वसूल किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10 बिल/वाउचर व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत न करने बारे :-

रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि वा.सं. 2 माह 10/13 के अंतर्गत ₹54930 का भुगतान एक BIO METRIC मशीन खरीदने हेतु किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में बिल व वाउचर, स्टॉक प्रविष्टि व अन्य औपचारिकतायें अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके आभाव में खरीद की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः बिल/वाउचर, स्टॉक प्रविष्टि इत्यादि आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

11. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :-

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान के छात्र कल्याण निधि खाते में से क्रय किये गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (फिजिकल वेरिफिकेशन) अंकेक्षण अवधि के दौरान कभी नहीं करवाई गई जबकि हिमांचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत

स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवा कर भविष्य में वार्षिक सत्यापन करना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 लघु- आपति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13 निष्कर्ष:- लेखाओं के रख-रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(2)15(11)(2)418 / 89खण्ड-3-1140-1141 दिनांक:20.02.2017
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत 1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, हि0प्र0।
- 2 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाही करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता /—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.